



दूरभाष :2300355,2301754  
TELEPHONE: 2300355,2301754  
ई-मेल :ors.gdc.soi@gov.in  
E-MAIL :ors.gdc.soi@gov.in  
फैक्स :0674-2301418  
FAX :0674-2301418



भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA

ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ भू-स्थानिक निदेशालय  
ODISHA AND CHHATTISGARH GD  
भारतीय सर्वेक्षण विभाग, SURVEY OF INDIA  
सर्वे भवन, SURVEY BHAWAN  
पी.ओ.:-आर.आर.लैब, P.O.-R.R. LAB.  
भुवनेश्वर, BHUBANESWAR-751013

ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ भू-स्थानिक निदेशालय, भुवनेश्वर नेमी आदेश संख्या 08 /37-जी-9(प्रशा) दिनांक 01 अप्रैल,2025.

ODISHA AND CHHATTISGARH GD'S ROUTINE ORDER NO. 08 /37-G-9(Adm.) DATED 01 April, 2025.

#### I. मानदेय / HONORARIUM

इस केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारियों को वर्ष 2024 के दौरान विशेष रूप में श्रम साध्य/ सराहनीय कार्य के निष्पादन के सम्मान में अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता का कार्यालय ज्ञापन सं. प्रशा. 13 / 18-D(EZO) (2024-25) दिनांक 21.03.2025 के अनुसार प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाया गया रकम मानदेय के रूप में प्रदान किया जाता है।

क्रम संख्या	अधिकारी / कर्मचारी के नाम तथा पदनाम	मानदेय का रकम	क्रम संख्या	अधिकारी / कर्मचारी के नाम तथा पदनाम	मानदेय का रकम
1.	Shri Jayanta Pradhan, Officer Surveyor	Rs.5,000	7.	Shri Dev Kumar Ram, R.K. Gde. IV	Rs.2,500
2.	Shri Shankar Prasad, Officer Surveyor	Rs.2,500	8.	Shri Pradeep Ram, MTS	Rs.5,000
3.	Shri Ajit Malik, Surveyor	Rs.2,500	9.	Shri Mahendra Bhoi, MTS	Rs.2,500
3.	Shri Sadasiv Mahapatra, Surveyor	Rs.2,500	10.	Shri Rohit Ram, Tranicee	Rs.2,500
4.	Shri Rabindra Nath Rath, Office Supdt. (Retd.)	Rs.5,000			
5.	Smt. Manashi Roy, Office Supdt.	Rs.2,500			
6.	Shri Indranil Seth, UDC	Rs.2,500			
Total					Rs.35,000

Cont. Pg. No- (2)

- (2) -

1. प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक मामले में जिसमें मानदेय की संस्वीकृति प्रदान की गई है, एफ.आर.46(बी) में निहित तथ्यों को पूर्ण कर लिया है ।
2. मानदेय प्रदान करते समय एफ.आर.11 के उपबंधों को ध्यान में रखा गया है ।
3. इस मद पर होने वाला व्यय ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ निदेशालय, भुवनेश्वर के लिए वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा तथा उपयुक्त लेखा शीर्ष के डाला जायेगा ।
4. यदि उपरोक्त राशी का भुगतान वित्तिय वर्ष 2024-25 के दौरान नहीं किया जाता है तो उसका भुगतान वित्तिय वर्ष 2025-26 के स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा तथा उपयुक्त लेखा शीर्ष के नाम डाला जायेगा ।

(आशीष कौशल)

निदेशक

वितरण :

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ ।
2. Web admin भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को इस अनुरोध से सूचनार्थ कि विभागीय Website में नेमी आदेश को दर्शाएँ ।
3. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता को सूचनार्थ ।
4. क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता को सूचनार्थ ।
5. स्थापना एवं लेखा अधिकारी तथा अनुभाग अधिकारी (लेखा अनुभाग) को सूचनार्थ तथा आवश्यक कारवाई हेतु ।